संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी.

प्रेषक,

नवनीत सहगल

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2-आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

3-समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

4-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2020

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) तथा अन्य उपलब्ध सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामाग्री के क्रय तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल.उ.)/2016, दिनांकः 23.08.2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट-ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 जारी किया गया है। इस शासनादेश के प्रस्तर-7 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सेवायोजन विभागों से शासनादेश में दी गई व्यवस्था के सम्बन्ध में संगत कार्यवाही सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 के प्रस्तर-5 के अनुसार मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु समयसमय पर राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नामित एजेंसिया यथा-श्रीट्रान/अपट्रान/इूडा/यूपीडेस्को/यूपीएसआईसी इत्यादि के माध्यम से वर्तमान में प्रचलित आउटसोर्सिंग व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त कर दिये गये हैं। अतः प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं/निगमों/उपक्रमों आदि में जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से बिड के माध्यम से ही मैनपावर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जायेगी, जिस हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैः-

1- शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 के प्रस्तर-3(1) के अनुसार सेवा प्रदाता द्वारा सम्भावित कार्मिक से किसी भी प्रकार की धनराशि लेना पूर्णतः वर्जित है। सेवा में रखे जाने के बाद समय से एवं पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में क्रेता विभाग को सेवा प्रदाता के विरूद्ध कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर डीलिस्टिंग की कार्यवाही करने का अधिकार क्रेता विभाग/एजेंसी को होगा। क्रेता विभाग उक्त कार्यवाही से जेम, भारत सरकार को अवगत करायेगा।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(2) के अनुसार किसी भी प्रकार की अनियमिता को रोकने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों का चयन अनिवार्य रूप से सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in के माध्यम से वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। सेवायोजन विभाग अपने पोर्टल पर यह सुनिश्चित करेगा कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल पंजीकरण न करा सकें।

3- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(3) के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित होने के उपरान्त किसी कर्मी को सेवा प्रदाता स्वमेव बदल नहीं सकता। अनुशासनहीनता तथा दण्डनीय अपराध आदि की स्थिति में क्रेता विभाग की सहमति के पश्चात ही चयनित/कार्यरत कर्मचारियों को सेवाप्रदाता द्वारा हटाया जा सकेगा।

4- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(4) के अनुसार जेम के माध्यम से ही आउटसोर्सिंग् कर्मी लेने की अनिवार्यता किये जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे कर्मियों की निरन्तरता बाधित नहीं की जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जेम पोर्टल द्वारा चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा रखा जायेगा। इस हेतु कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के सम्बन्ध में संतुष्ट प्रमाण पत्र क्रेता विभाग द्वारा सेवाप्रदाता को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल नवीन कर्मियों का चयन सेवायोजन पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1) के अनुसार कार्मिकों को विलम्ब से भुगतान को रोकने के लिए क्रेता विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेन्सी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज व पेनाल्टी लगायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

6- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(3) के अनुसार अभ्यर्थियों की तैनाती के लिये सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल से कैन्डीडेट्स को वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत चयन किये जाने हेतु, सेवाप्रदाता से विभागों द्वारा कर्मियों की मॉग के अनुसार यथा एक कर्मी के लिये पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं तथा 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मॉग पर तीन गुना परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन किया जायेगा। सेवाप्रदाता द्वारा एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर उनकी क्षमता, योग्यता पर मूल्यांकन करते हुये चयन किया जायेगा जिसमें क्रेता विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

(उपरोक्त व्यवस्था के लिये जेम, भारत सरकार ने उक्त विशिष्ट शर्तें Additional Terms and Conditions(ATC) के Human Resource and Payment clause के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गयी है। इन शर्तों को बिड बनाते समय क्रेता विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा)

7- जेम पोर्टल पर पंजीकृत क्रेता विभाग अपनी बायर आई0डी0 से जेम पर लागिन करके सर्विस सेक्शन में जाकर "मैनपावर रिसोर्स आउटसोर्सिंग सर्विसेस"" का चयन करेगा।

8- क्रेता विभाग तत्पश्चात् सम्बन्धित सेवा के Service Level Agreement (SLA) की शर्तों के अनुसार निर्धारित फिल्टर का उपयोग करते हुए जेम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से बिड फ्लोट करेगा।

9- जेम पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि कोई क्रेता यदि अपने अनुरूप नई शर्त जोड़कर बिड प्राप्त करना चाहता है तो वह जेम पर नई शर्त का सुझाव प्रेषित कर सकता है और जेम द्वारा शर्त को उपयुक्त पाये जाने पर क्रेता विशेष के लिए अथवा सामान्य रूप से बिड में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार कर्मियों से जबरदस्ती यदि कोई धनराशि सेवाप्रदाता लेने का प्रयास करता है तो सेवाप्रदाता पर कार्यवाही की शर्त जोड़ी जा सकती है।

3. **सेवा प्रदाता हेतु अर्हताएं:-**

1- विभिन्न सेवाओं के लिये सेवा प्रदाता की अर्हताएं जेम पोर्टल पर पूर्व से निर्धारित है। उदाहरण- यदि बिड की अनुमानित लागत 1 करोड़ है तो क्रेता विभाग न्यूनतम धनराशि रू0 50 हजार एवं अधिकतम रू0 5 लाख EMD/FDR के रूप में मांग कर सकता है।

उक्त के क्रम में निम्नवत व्यवस्था की जाती है-

क्र0सं0	निविदा मूल्य	ई0एम0डी0@,QOMh0vkj0 धनराशि
1-	5 लाख से 1 करोड़ रूपये तक	0.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के मध्य क्रेता विभाग स्वविवेक से निर्णय लेगा।
2-	1 करोड रूपये से अॊ	5 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई0एम0डी0/FDR जमा करने के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या 1/2018/3070/78-2-2018/42आई0टी0/2017(22) दिनांक 03 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित व्यवस्था अनुमन्य होगी।

2- जेम पोर्टल पर 5 लाख से अधिक धनराशि की बिड पर, L-1 निविदा लागत राशि की 2% से 10% तक की बैंक गारंटी/FDR लिये जाने का प्राविधान है। उदाहरण- L-1 सेवा प्रदाता के चयन के उपरान्त, यदि L-1 रू0 90 लाख आता है तो न्यूनतम रू0 1,80,000 अर्थात 2% व अधिकतम 9 लाख अर्थात 10% की बैंक गारंटी/FDR की मांग कर सकता है।

उक्त के क्रम में निम्नवत व्यवस्था की जाती है-

क्र0सं0	निविदा मूल्य (रूपयें में)	बैंक गारंटी/FDR
1-	1 करोड़ से कम मूल्य की निविदा	2 प्रतिशत
2-	1 करोड़ से 3 करोड़ के मध्य मूल्य की निविदा	5 प्रतिशत
3-	3 करोड़ से अधिक मूल्य की निविदा	10 प्रतिशत

3- सेवा प्रदाता का टर्नओवर निविदा की लागत का न्यूनतम 30 % या उससे अधिक होना चाहिये। उदाहरण- यदि बिड का अनुमानित मूल्य 0 1 करोड़ है और क्रेता विभाग 30 % टर्नओवर वाले फिल्टर/आप्शन का प्रयोग करता है, तो कोई भी सेवा प्रदाता जिसका विगत 3 वर्षों में न्यूनतम 30 लाख का टर्नओवर रहा हो, वह बिड कर सकता है।

4- सेवा प्रदाता के पास विगत 3 वर्षों में Gov/PSU/Gov.Ltd कंपनी में समान श्रेणी के कार्मिकों की आपूर्ति के कार्य का अनुभव तथा उस प्रकार के कार्य को करनेका अनुमानित कार्य लागत का 80% का एक कार्यादेश अथवा 50% के दो अथवा 40% के तीन कार्यादेश होना अनिवार्य है। उदाहरण- यदि बिड की अनुमानित राशि रू0 1 करोड़ है और क्रेता विभाग अनुभवी सेवा प्रदाता वाले फिल्टर/आप्शन का उपयोग करता है तो GTC के अनुसार यदि किसी सेवा प्रदाता ने विगत 3 वर्षों मे 80 लाख मूल्य का एक क्रयादेश पूर्ण किया हो या 50 लाख मूल्य के दो क्रयादेश अथवा 40 लाख मूल्य के तीन क्रयादेश में पूर्ण किये हों तो ही वह सेवा प्रदाता तकनीकी बिड हेतु अर्हता प्राप्त कर सकता है।

5- सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम 0.01% सर्विस चार्ज का प्राविधान है। संबंधित विभाग सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अपने स्तर से निर्णय लेगा कि सेवाओं की गुणवत्ता के दृष्टिगत, सेवा प्रदाता को कितना न्यूनतम सर्विस चार्ज निर्धारित किया जाये। सर्विस चार्ज, श्रोत पर आयकर कटौती, जी0एस0टी कटौती, जेम सेवा शुल्क, बीमा एवं बोनस इत्यादि (यदि प्राविधान हो) के कुल योग से किसी भी दशा में न्यून नहीं होगा।

6- किसी भी विभाग द्वारा किसी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिये कर्मियों को कितना मानदेय देय होगा इसका निर्णय संबंधित विभाग, विभिन्न सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार करेगा, जो कि वर्तमान में कार्मिकों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राप्त हो रहे मानदेय से कम अनुमन्य नहीं होगा। श्रम संविदा नियमावली, सप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य के घण्टे जैसे नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी।

7- सेवा प्रदाता द्वारा EPF, ESI & GST आदि की कटौती Service Level Agreement (SLA) के अनुसार की जायेगी, क्रेता विभाग द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

8- यदि किसी क्रेता द्वारा किसी विशेष शर्त की आवश्यकता अनुभव की जाती है (जैसा कि निर्धारित सीमा से भिन्न, न्यूनतम बिड राशि/न्यूनतम टर्नओवर अथवा कर्मियों की संख्या पोर्टल पर उपलब्ध मैन पावर के अनुसार अन्य शर्ते) तो जेम में क्रेता के क्रय हेतु विशेष शर्त को सम्मिलित किये जाने की भी व्यवस्था उपलब्ध है, जिसे विभागाध्यक्ष की लिखित अनुमति के पश्चात् Request Module पर जाकर किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि न्यूनतम अर्हताओं में कोई छूट नहीं होगी।

4- वित्तीय निविदा खोलने के लिए कम से कम 3 फर्मों को न्यूनतम तकनीकी योग्यता पास करना आवश्यक होगा। वित्तीय निविदा खुलने के उपरान्त यदि एक से अधिक सेवा प्रदाता L-1 आते हैं, तो सिस्टम में उपलब्ध रन L-1 सेलेक्शन टूल का उपयोग अनिवार्य रूप से करते हुए सिस्टम द्वारा चयनित L-1 फर्म को क्रयादेश निर्गत किया जायेगा। यदि ,d बार निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त भी n|j॥ बार निविदा खोलते समय तीन फर्मों से कम फर्म तकनीकी योग्यता पास करती हैं तो वित्तीय निविदा खोलने जाने के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्णय ले लिया जायेगा।

5- जेम पर भुगतान के लिए आनलाइन व्यवस्था(जेम पूल एकाउंट) प्राइमरी यूजर्स के लागिन में उपलब्ध हैं। क्रेता विभाग द्वारा जेम पूल एकाउंट के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया एक माह में सुनिश्चित की जायेगी।

6- जेम पोर्टल से सेवा क्रय करने की प्रक्रिया पूर्ण करने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। सम्बन्धित विभाग सेवा की आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चित करेगें कि वर्तमान में चल रहें अनुबंध समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व ही मैनपावर सेवा क्रय की जेम पोर्टल पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर देगें, ताकि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। सेवा क्रय करने वाले विभाग को पूर्व में शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23.08.2017 के माध्यम से स्पष्ट किया जा चुका है कि उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को जोन, मण्डल, जनपद अथवा किसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर टुकड़ों में नहीं लिया जायेगा, अभिप्राय यह है कि क्रेता विभाग को जिन कर्मिकों की आवश्यकता होगी उनकी जेम पोर्टल के माध्यम से एक ही बिड की जायेगी, जिससे सुदृढ़ एवं सक्षम सेवा प्रदाता का चयन हो सके।

7- विभाग द्वारा प्रचलित अनुबन्ध (contract) से संतुष्ट न होने पर सेवा प्रदाता पर उचित कार्यवाही हेतु क्रेता विभाग, जेम पोर्टल के Buyer Login में उपलब्ध Incident

management में जाकर उस प्रचलित अनुबन्ध (contract) के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अनुरोध करेगा। जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता पर Incident management Policy के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- जेम के सामान्य नियम व शर्तों में इंगित है कि अनुबन्ध(contract) क्रेता व सेवा प्रदाता के बीच है। यदि किसी कान्ट्रैक्ट के प्रचलित रहते हुए अन्य किसी प्रकरण में सेवा प्रदाता के विरूद्ध डिलिस्टिंग की कार्यवाही अमल में लायी जाती है, तो इस सूचना के आधार पर अन्य क्रेता अपने स्वविवेक से अपना कान्ट्रैक्ट जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकता है, परन्तु अन्य प्रचलित कान्ट्रैक्ट स्वतः समाप्त नहीं होंगे।

9- जेम पोर्टल से उत्पाद एवं सेवाओं के क्रय हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के पत्र संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/2012 दिनांक 19 मार्च, 2020 के द्वारा जारी क्रय नीति-2020 के प्रस्तर-2 के अनुरूप प्रत्येक राज्य के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने अधीन प्रस्तावित कुल वार्षिक सेवापूर्ति का न्यूनतम 25 प्रतिशत लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्थिति सूक्ष्म, एवं लघु सेवा प्रदाताओं से आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्धारित करेंगे। प्रदेश की सूक्ष्म, एवं लघु सेवाप्रदाताओं हेतु आरक्षित इस 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत महिला सेवा प्रदाताओं से 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सेवा प्रदाता से एवं 5 प्रतिशत लक्ष्य ग्रीन प्रोक्योरमेन्ट के अनुसार पर्यावरणीय अनुकूल सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रय/आपूर्ति हेतु निर्धारित किया जायेगा। निविदाओं के संबंध में प्राइसमैचिंग के विकल्प हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-4 के अनुरूप यदि टेण्डर में एल-1 आफर देने वाली फर्म सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर है (अर्थात मध्यम या बृहद् उद्यम /सेवा प्रदाता है) और किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के द्वारा एल-1 आफर के मूल्य के 15 प्रतिशत की सीमा तक अधिक मूल्य अंकित किया गया है तो ऐसी दशा में यदि प्रदेश की एमएसएमई तकनीकी रूप से अर्ह है तो उक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (या एक से अधिक ऐसे उद्यमों की दशा में 15 प्रतिशत बैण्ड में स्थित सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) को यह अधिकार होगा कि वे अपने मूल्य को एल-1 स्तर पर लाकर कुल निविदा मूल्य के 25 प्रतिशत तक आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग या उपक्रम द्वारा अनुमति दी जायेगी तथा आपूर्ति भी सुनिश्चित की जायेगी। एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की दशा में उनसे ली जाने वाली आपूर्ति को उनके द्वारा निविदत्त मात्रा के आनुपातिक रूप में बांटा जायेगा। इस संबंध में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति 2020 की व्यवस्था एवं शर्तें यथा आवश्यकता लागू होंगी।

10- इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात् जेम पोर्टल/ई-निविदा के माध्यम से पूर्व में निष्पादित हुई निविदाओं, जिनमें क्रयादेश जारी किया जा चुका है, का नवीनीकरण/विस्तारीकरण नहीं किया जायेगा। इस शासनादेश के क्रम में तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-5/2020/20/1/91-क-2/2020 दिनांक 25 जून, 2020 में निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर पूर्ववर्ती निविदायें निरस्त मानते हुये नई निविदायें जेम से की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेंगी। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के संदर्भगत शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019 दिनांक 18.12.2019 व श्रम विभाग के शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 में वर्णित अन्य शर्तें/प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश आउटसोर्सिंग के संबंध में योजित रिट याचिका संख्या-7937(एम.बी.)/2020 एवं रिट याचिका संख्या-31208/2009(एम.बी.) मे.आर.एम.एस. टेक्नोसोल्यूशन बनाम अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,
नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को, मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(9) निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(10) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
(11) वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
(12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।